सं0 11/आ0–1–108/79–का0–157

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

.....

प्रेषक,

श्री के0 ए0 रामासुब्रह्मणयन,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/
विशेष सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना 15, दिनांक 31 मार्च, 1979।

विषय– **सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/जन–जाति के लिये आरक्षण के अनुसार वरीयता निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों के लियें राज्य सरकार ने दिनांक 15 जनू 1871 से प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति के लिये जो पद पूर्व से अग्रनीत होकर आते है उसका अभिप्राय यह होता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के योग्य तथा सक्षम उम्मीदवार जब उपलब्ध हो जायें तो उन्हें अग्रनीत पद पर प्रोन्नति दे दी जाय। यदि जनहित में आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित पहले से भर दिया जाय तब भी यह उचित हो जाता है कि कार्यावधि पूरा करने के बाद तत्काल अनुसूचित जाति/जन–जाति के योग्य उम्मीदवार को उनकी जो प्रोन्नति देय है उस तिथि से दे दी जाय तथा यदि पदों को अग्रनीत करने के बाद भी अनुसूचित जाति/जन–जाति को प्रोन्नति के लिये प्रतीक्षा करनी पड़े तो अग्रनीत करने का कोई अर्थ हीं नहीं रह जाता है। अतः यह उचित होगा कि अनुसूचित जाति/जन–जाति के उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम कालावधि जिस तिथि को पूरा करते है उसी तिथि से उन्हें अग्रनीत की गयी रिक्त पदों पर प्रोन्नति दी जाय। यदि विभागीय नियम के अनुसार हर साल 1ली जनवरी के बाद प्रोन्नति पर विचार करने का नियम हो तो उस नियम के अनुसार भी अनुसूचित जाति/जन–जाति के योग्य उम्मीदवारो को प्रोन्नति दी जा सकती है क्योंकि अग्रनीत रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति/जन–जाति का पहला हक होता है।

बहुत से विभाग एक–दो साल की रिक्तियों को एक ही साल भरने का प्रयास करते है, जिससे अनुसूचित जाति/जन–जाति के पदाधिकारियों को अग्रनीत पदों के विरूद्ध प्रोन्नति में, वरीयता में लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि नियमतः एक साथ प्रोन्नति होने पर जो वरीयता पूर्व की है उसी के आधार पर प्रोन्नति के समय वरीयता निर्धारित की जाती है यद्यपि पूर्व से ही पद अनुसूचित जाति/जन–जाति के लिये अग्रनीत होकर आते है।

इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्व के अग्रनीत पद पर जब अनुसूचित जाति/जन–जाति के योग्य तथा सक्षम पदाधिकारी उपलब्ध हो जाय तो अग्रनीत पद पर प्रोन्नति देते समय उनकी वरीयता उसी तिथि से दी जाय जिस तिथि से पूर्व से आयी हुई अग्रनीत पद पर प्रोन्नति देय होती है क्योंकि अग्रनीत पदों पर उनका पहला हक होता है।

साथ–ही–साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक साल की रिक्तियों पर प्रोन्नति प्रत्येक साल के लिये अलग–अलग की जाय ताकि आरक्षित जाति के पदाधिकारियों को प्रोन्नति के बाद वरीयता के प्रश्न पर कोई कठिनाई नहीं हो पावें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय की सूचना सभी नियुक्ति एवं प्रोन्नति करने वाले पदाधिकारियों को दे दी जाय।

आपका विश्वासभाजन
के0 ए0 रामासुब्रह्मणयन,
सरकार के मुख्य सचिव।